विविध सिविल

न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति एस.पी.गोयल,

नवल किशोर, ... प्रार्थी;

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, ... उत्तरदाताओं।

1973 की सिविल रिट याचिका संख्या 3793 में 1977 की सिविल विविध संख्या 826

18 अगस्त 1977 को हुआ फैसला

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम*, 1976 - *धारा* 58 (4)** - क्या ***एक कठोर और असाधारण प्रावधान है - "सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना" - जिसका अर्थ है - क्या ***कानूनी कला का एक शब्द - आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण - क्या इसके दायरे में आता है - सार्वजनिक उपयोगिता - क्या यह 'सार्वजनिक उद्देश्य' के समान है।***

आयोजित:

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 58 (4) स्पष्ट रूप से एक कठोर और असाधारण प्रावधान है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं में पहले दिए गए निषेधाज्ञा या स्थगन या किसी अन्य तरीके से अंतरिम आदेशों की स्वचालित छुट्टी का प्रावधान करता है। इस आकस्मिकता की परिकल्पना तीन विशिष्ट स्थितियों में की गई है; सबसे पहले, जहां इस तरह के आदेश का सार्वजनिक महत्व के मामले में किसी भी जांच में देरी का प्रभाव पड़ता है; दूसरे, जहां कारावास के साथ दंडनीय अपराध की किसी भी जांच या पूछताछ पर इसका समान प्रभाव पड़ता है और, तीसरा और अंत में,

जहां इसका प्रभाव संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना के निष्पादन में देरी का होता है।

(पैरा 17)

आयोजित:

'सार्वजनिक उपयोगिता' शब्द, हालांकि कानूनी कला का हिस्सा नहीं है, ने लंबे समय तक उपयोग की प्रक्रिया द्वारा कई मामलों में एक निश्चित रंग प्राप्त किया है , जिसमें मामले पर विचार किया गया है और इसलिए यह मिश्रित कानूनी कला का एक शब्द है। अपने सामान्य शब्दकोश अर्थ में और आम बोलचाल के शब्द के रूप में इस वाक्यांश का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा की अवधारणा से है। यद्यपि वाक्यांश की वास्तविक प्रकृति और आयात के रूप में एक बुनियादी अर्थ है, फिर भी कुछ मामलों में इसे राजनीतिक शरीर के सामान्य कल्याण के कई मामलों को कवर करने के लिए बढ़ाया और विस्तारित किया गया है। विस्तारित निर्माण, नियम का एक अपवाद है और वाक्यांश का मूल अर्थ जनता के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग की किसी चीज़ तक ही सीमित है और संक्षेप में इसकी सामान्य और कभी-कभी मौलिक आवश्यकताओं को प्रदान करता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण को अधिनियम की धारा 58 (4) में प्रयुक्त 'सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना' वाक्यांश के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

(पैरा 8, 10, 11 और 13)।

आयोजित:

भूमि अधिग्रहण के मामलों में 'सार्वजनिक उद्देश्य' के व्यापक और सामान्य पहलू के साथ 'सार्वजनिक उपयोगिता' के विशेष वाक्यांश को भ्रमित करना अनुचित है। 'सार्वजनिक उद्देश्य'

वाक्यांश का बहुत व्यापक अर्थ है और मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक कल्याणकारी राज्य में, राज्य के लगभग हर कार्य का एक अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य होगा। विधायिका का इरादा इस मामले को इस हद तक बढ़ाने का नहीं था। धारा 58 की उप-धारा 4 की भाषा को जब समग्र रूप से माना जाता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना' शब्द का उपयोग मुख्य रूप से उन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित अर्थों में किया जाता है जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए आवश्यक हैं। वाक्यांश के दायरे में आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि के विकास के रूप में कुछ भी शामिल नहीं होगा, जिसमें कुछ आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान एक सहायक उपाय के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं या नहीं भी किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से उपधारा (4) तैयार की गई है, जिस संदर्भ में इसे रखा गया है और उसमें निर्धारित असाधारण नियम दर्शाते हैं कि यह केवल इस उद्देश्य के लिए है कि जनोपयोगी की परियोजनाएं निहित हों, न कि भूमि के उन सभी अधिग्रहणों के लिए जिनमें एक सहायक उपाय के रूप में सार्वजनिक उपयोगिता के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

(पैरा 16 और 18)।

सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत आवेदन में *प्रार्थना की गई है कि एक उचित आदेश दिया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे कब्जे में रहने वाले आदेश का सम्मान करें और उन्हें याचिकाकर्ता के वचनों को कब्जे में लेने का प्रयास करने या धमकी देने से रोका जा सकता है।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीएस जैन और अधिवक्ता वीएम जैन।

उत्तरदाताओं के लिए नौबत सिंह, ए.ए.जी.

आदेश

न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया,

(1) संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 58 की उप-धारा (4) में प्रयुक्त लोक उपयोगिता परियोजना वाक्यांश से जुड़ा सटीक अर्थ कुछ महत्व का मुद्दा है, जो संदर्भ पर हमारे समक्ष है। मुद्दा उन तथ्यों से उठता है जिन पर कोई विवाद नहीं है।

(2) 9 जुलाई, 1973 को हरियाणा राज्य ने याचिकाकर्ता की भूमि सहित एक क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की। उसमें यह निम्नानुसार घोषित किया गया था - जबकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि बल्लभगढ़-फरीदाबाद नियंत्रित क्षेत्र, फरीदाबाद के सेक्टर 37 में आवासीय क्षेत्रों के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर भूमि की आवश्यकता होने की संभावना है, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्देश में वर्णित भूमि की आवश्यकता है।

"

(3) याचिकाकर्ता ने 1973 की सिविल रिट संख्या 3793 के माध्यम से अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी और 10 दिसंबर, 1973 के लिए नोटिस जारी करते हुए मोशन बेंच ने निम्नलिखित शर्तों में याचिकाकर्ता के कब्जे पर रोक लगा दी: -

"10 दिसंबर, 1973 के लिए नोटिस। श्री नौबत सिंह ने रिटर्न दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। समय की अनुमति है। पहले से दी गई रोक रिट याचिका पर फैसला आने तक जारी रहेगी।

(4) कारणों से, जिनमें से सभी रिकॉर्ड पर स्पष्ट नहीं हैं, मामले को स्पष्ट रूप से निर्देश के अनुसार शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। इस बीच संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) संसद द्वारा अधिनियमित

किया गया था और 18 दिसंबर, 1976 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, और उसी तारीख के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम ने केंद्र सरकार को अपने विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए अधिसूचना द्वारा अलग-अलग तिथियां नियुक्त करने का अधिकार दिया। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 58 लागू की जो 1 फरवरी, 1977 से संगत उपबंध है। जाहिर ा तौर पर इसके बाद प्रतिवादियों ने अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने के लिए कार्यवाही शुरू की और याचिकाकर्ता ने तब नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि स्थगन आदेश जारी रहने के बावजूद संपदा कार्यालय, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स के अधिकारी और कर्मचारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ 19 अप्रैल, 1977 को शाम लगभग 4.30 बजे परिसर में आए और इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। संपदा अधिकारी को दिए गए अभ्यावेदन पर, आवेदक को सूचित किया गया कि संविधान में हाल के परिवर्तनों के कारण और स्पष्ट रूप से उपरोक्त संशोधन अधिनियम की धारा 58 (4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-राज्य अधिग्रहण के सभी मामलों में कब्जा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह बताया गया कि जब तक याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से एक नया स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकता, वे उसके परिसर का कब्जा हासिल करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे।

(5) वर्तमान सिविल विविध याचिका पहले एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आई और उनके समक्ष हरियाणा के महाधिवक्ता ने यह रुख अपनाया कि अधिनियम की हाल ही में लागू धारा 58 (4) को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पूर्व स्थगन आदेश स्वचालित रूप से हटा दिया गया था। उठाए गए प्रश्न के महत्व और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मुद्दा सैकड़ों ऐसी याचिकाओं में उठने की संभावना थी, जहां इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए गए थे, विद्वान न्यायाधीश ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय के लिए भेज दिया है।

(6) अनिवार्य रूप से प्रश्न का उत्तर अधिनियम की धारा 58(4) के संगत उपबंधों पर होना चाहिए और संदर्भ की सुविधा के लिए पहले यह निर्धारित किया जाना चाहिए:-

"58 (4): उप-धारा (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक अंतरिम आदेश (चाहे निषेधाज्ञा के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से) जो नियत दिन से पहले, या उससे संबंधित किसी भी कार्यवाही में किया गया था (लंबित याचिका नहीं है जो उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गई है), और जो उस दिन लागू है, यदि ऐसे आदेश का प्रभाव लोक महत्व के किसी मामले की जांच करने या कारावास से दंडनीय अपराध की किसी जांच या जांच में विलंब करने का होता है या लोक उपयोगिता के कार्य या परियोजना के निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई या *ऐसे निष्पादन के लिए किसी संपत्ति के अधिग्रहण, सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा किया जाता है, खाली कर दिया गया है।*

(7) मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना' वाक्यांश के सही निर्माण के लिए, मामले की जांच एक दोहरे कोण से की जानी चाहिए, अर्थात्, क्या यहां वाक्यांश को क़ानून में कानूनी कला के शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है, या जैसा कि इसे इसके सामान्य सामान्य अर्थों में माना जाना चाहिए। यदि यह, उत्तरार्द्ध है, तो यह स्पष्ट है कि वाक्यांश के शब्दकोश अर्थ को किसी भी तकनीकी कानूनी परिभाषा पर वरीयता दी जा सकती है।

(8) ऐसा प्रतीत होता है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता' शब्द हालांकि कानूनी कला का हिस्सा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग की प्रक्रिया ने कई पेस ोंं में एक निश्चित रंग प्राप्त कर लिया है , जिसमें इस मामले पर विचार किया गया है और इसलिए, यह मानना शायद

अधिक उपयुक्त है कि यह मिश्रित कानूनी कला का शब्द है। इसके वास्तविक अर्थ पर पहुंचने के लिए, इन दोनों दृष्टिकोणों से इसकी जांच करना सबसे अच्छा है।

(9) अपने सादे शब्दकोश के अर्थ पर सबसे पहले आते हुए, यह देखा जा सकता है कि एक समग्र वाक्यांश के रूप में 'सार्वजनिक उपयोगिता' शब्द का उल्लेख कुछ आधिकारिक अंग्रेजी शब्दकोशों में भी नहीं मिलता है। काउंसिल ने बार में ऐसा कहा और हम शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी या वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी में दो शब्दों को एक पोम्पोसाइट वाक्यांश के रूप में खोजने में भी असमर्थ रहे हैं।रैंडम हाउस डिक्शनरी में इस वाक्यांश पर ध्यान दिया गया है और इसका निम्नलिखित अर्थ दिया गया है -

> "एक व्यावसायिक उद्यम, एक सार्वजनिक सेवा निगम के रूप में, एक विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा का प्रदर्शन करता है और संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा विनियमित होता है"।

इसी शब्दकोष में भी 'उपयोगिता' शब्द का अर्थ जो वर्तमान संदर्भ में इसके उपयोग का अनुमान लगाता है, निम्नानुसार दिया गया है

> "एक सार्वजनिक सेवा, एक स्ट्रीट कार या रेलमार्ग लाइन, एक टेलीफोन या इलेक्ट्रिक-लाइट सिस्टम, या इसी तरह की तरह"।

(10) उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके सामान्य शब्दकोश अर्थ में और आम बोलचाल के शब्द के रूप में भी वाक्यांश 'सार्वजनिक उपयोगिता' का अर्थ शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा की अवधारणा है।

(11) अब शब्द की थोड़ी कानूनी बारीकियों पर आते हुए, पहले कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम (वॉल्यूम 73 पृष्ठ 990) का संदर्भ दिया जा सकता है। इसमें इसका वर्णन निम्नानुसार किया गया है -

"एक 'सार्वजनिक उपयोगिता' को एक व्यावसायिक संगठन के रूप में वर्णित किया गया है जो नियमित रूप से जनता को कुछ वस्तु या सेवा, जैसे बिजली, गैस, पानी, परिवहन, या टेलीफोन या टेलीग्राफ सेवा की आपूर्ति करता है। जबकि इस शब्द को बिल्कुल परिभाषित नहीं किया गया है, और, जैसा कि कहा गया है, एक परिभाषा का निर्माण करना मुश्किल होगा जो हर कल्पनीय मामले में फिट होगा।

****

'सार्वजनिक उपयोगिता' शब्द का अर्थ सार्वजनिक उपयोग है, जो जनता की सेवा करने और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने का कर्तव्य रखता है, और यह सेवा के विचार को रोकता है जो अपनी प्रकृति में निजी है और जनता द्वारा प्राप्त नहीं किया जाना है।

इस बिंदु पर अधिकांश अमेरिकी केस लॉ का संदर्भ इस तथ्य को सामने लाता है कि यद्यपि वाक्यांश की वास्तविक प्रकृति और आयात के बारे में एक बुनियादी अर्थ है, लेकिन इस तथ्य का कोई लाभ नहीं है कि कुछ मामलों में इसे राजनीतिक निकाय के सामान्य कल्याण के कई मामलों को कवर करने के लिए बढ़ाया और विस्तारित किया गया है। हालांकि, विस्तारित निर्माण नियम का अपवाद प्रतीत होता है और वाक्यांश का मूल अर्थ जनता के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग की जाने वाली किसी चीज़ तक ही सीमित है और संक्षेप में इसकी सामान्य और कभी-कभी मौलिक आवश्यकताओं को प्रदान करता है।

(12) बाउवियर के लॉ डिक्शनरी में फिर से, 'सार्वजनिक उपयोगिता' के विवरण में ऐसे कार्यों की परिकल्पना की गई है जैसे कि शहर के उद्देश्यों और उसके निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति; अपने नागरिकों के लिए बिजली प्रदान करना; एक रैपिड ट्रांजिट रेलवे का निर्माण और संचालन, पूरी तरह से इसकी सीमाओं के भीतर; और इस संबंध में ऐसी प्रणाली को पट्टे पर और संचालित करना। एक अन्य प्रणाली के साथ, परिवहन की एक एकीकृत प्रणाली को

सुरक्षित करने के लिए; इसके उपयोग और 'निवासियों, आदि के उपयोग के लिए एक प्राकृतिक गैस प्रणाली संचालित करना (13) एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, खंड 18, पृष्ठ 774 में, वाक्यांश की व्यापक अवधारणा और उसके तहत विशेष सेवाओं का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है: -

> "सार्वजनिक उपयोगिताओं; कानूनी रूप से 'सार्वजनिक हित से प्रभावित' उद्योगों के एक विशेष समूह के लिए एक पदनाम और सरकारी विनियमन के तहत आयोजित। सार्वजनिक उपयोगिताओं के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली मुख्य सार्वजनिक सेवाएं हैं; (1) रेलमार्ग, राजमार्ग और स्थानीय पारगमन, तेल और गैस पाइपलाइनों, जलमार्गों और हवाई लाइनों सहित परिवहन (सामान्य वाहक); (2) संचार-टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो और टेलीविजन; (3) बिजली, गर्मी और प्रकाश-गैस और बिजली; (4) पानी, स्वच्छता और सिंचाई के लिए सामुदायिक सुविधाएं"।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी कोण से इसे आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण को अधिनियम की धारा 58 (4) में उपयोग किए गए 'सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना' वाक्यांश के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

(14) अपनी प्राथमिक दलील को अस्वीकार करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने इस विकल्प पर दृढ़ता पूर्वक विचार किया कि इस तथ्य के बावजूद कि आवासीय क्षेत्र के रूप में भूमि का विकास और उपयोग सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना है या अन्यथा प्रतिवादी राज्य आवासीय क्षेत्र के अंतिम विकास के लिए सड़क, सीवरेज, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, पूरी परियोजना को सार्वजनिक उपयोगिता में से एक माना जाना चाहिए। या कम से कम उसी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है।

(15) यह निवेदन एक बार में इस मुद्दे को सामने लाता है कि क्या धारा 58 (4) में हमेशा की तरह इस वाक्यांश का अर्थ निकालने के लिए भूमि के अधिग्रहण के मुख्य उद्देश्य और

उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए या केवल इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए कि कुछ सहायक सेवाएं जो सार्वजनिक उपयोगिता के दायरे में आ सकती हैं, पूरी परियोजना को सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में भी बना देंगी।

(16) मेरा स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार उपधारा (4) बनाई गई है, जिस संदर्भ में इसे रखा गया है और उसमें असाधारण नियम भूमि से पता चलता है कि यह केवल जनोपयोगी परियोजनाओं के प्रयोजन रा्थ है, न कि भूमि के उन सभी अधिग्रहणों के लिए जिनमें एक सहायक उपाय के रूप में लगभग एक सार्वजनिक उपयोगिता के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

(17) धारा 58 (4) स्पष्ट रूप से एक कठोर और असाधारण प्रावधान है जो अंतरिम आदेशों की स्वचालित छुट्टी का प्रावधान करता है, चाहे निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं में पहले दिए गए किसी अन्य तरीके से। इस आकस्मिकता की परिकल्पना तीन विशिष्ट स्थितियों में की गई है; पहला, जहां ऐसे आदेश का प्रभाव सार्वजनिक महत्व के मामले में किसी भी जांच में देरी का होता है; दूसरा, जहां कारावास के साथ दंडनीय अपराध की किसी भी जांच या पूछताछ पर इसका समान प्रभाव पड़ता है और तीसरा और अंत में, जहां इसका सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना के लिए संपत्ति के अधिग्रहण या निष्पादन में देरी का प्रभाव पड़ता है।

(18) अब उपधारा (4) के संदर्भ से पता चलेगा कि अंतिम आकस्मिकता केवल सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना को निष्पादित करने के विशिष्ट और विशेष उद्देश्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में है, न कि आम तौर पर भूमि के सभी अधिग्रहणों के संबंध में। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कुल मिलाकर सभी अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और कंपनियों के प्रयोजनों के लिए बहुत ही असाधारण और सीमित अधिग्रहण ोां को छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए एक विशेष

प्रक्रिया प्रदान की जाती है। इसलिए, मुझे भूमि अधिग्रहण के मामलों में 'सार्वजनिक उपयोगिता' के विशेष वाक्यांश को 'सार्वजनिक उद्देश्य' के व्यापक और सामान्य पहलू के साथ भ्रमित करना अनुचित लगता है। 'सार्वजनिक उद्देश्य' वाक्यांश का एक बहुत व्यापक अर्थ है और मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक कल्याणकारी राज्य में, जिसके लिए हमारी राजनीतिक संस्था लगातार अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है, राज्य के लगभग हर कार्य का एक अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य होगा। यदि विधायिका का उद्देश्य इस मामले को इस हद तक विस्तारित करना था, तो इसे आसानी से और स्पष्ट रूप से यह अधिनियमित करके हासिल किया जा सकता था कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ रोक के सभी अंतरिम आदेश तुरंत खाली कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा कोई स्पष्ट इरादा था, तो उप-धारा (4) का मसौदा उस तरीके से तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस तरह से इसे बहुत सावधानी के साथ किया गया है और इसे (पहले उल्लिखित अन्य दो उदाहरणों के अलावा) स्पष्ट रूप से केवल सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजनाओं के लिए भूमि के निष्पादन या अधिग्रहण तक सीमित किया गया है। उपधारा (4) की भाषा को जब समग्र रूप से समझा जाए तो यह इस दृष्टिकोण के पक्ष में एक स्पष्ट संकेत है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता की परियोजना' का उपयोग मुख्य रूप से उन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित अर्थों में किया जाता है जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए आवश्यक हैं। वाक्यांश के दायरे में आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि के विकास के रूप में कुछ सामान्य शामिल नहीं होगा, जिसमें कुछ आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान सहायक उपाय के रूप में प्रदान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।

(19) मेरा स्पष्ट रूप से विचार है कि धारा 58 (4) वर्तमान मामले से आकर्षित नहीं है और न्यायालय द्वारा पहले दिया गया स्थगन आदेश इससे प्रभावित नहीं होता है। नतीजतन आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और प्रतिवादी राज्य को रिट याचिका के निर्णय तक

याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा